

प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण वर्ष 2018-19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो वर्तमान धारित पद (अ.नं. 31121, भारतीय)
2. वर्तमान धारित पद अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31.03.2018
3. वर्तमान वेतन

| उस तिथि, उप<br>संमान, लाइका तथा<br>ग्राम का नाम, जिसमें<br>संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम<br>पर न हो तो<br>बतलाइये कि वह<br>जिसके नाम पर<br>धारित है और उसका<br>शासकीय कर्मचारी से<br>क्या संबंध है | उस किस प्रकार<br>अर्जित किया गया<br>खरीद पट्टा, बंधक,<br>विरासत, भेंट या<br>अन्य किसी प्रकार से<br>तथा अर्जन की<br>तारीख और जिससे<br>अर्जित की गई हो<br>उसका नाम तथा<br>ब्यौरे | वर्तमान वेतन | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | (4)   | (5)   | (6) | (7) | (8) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|
|                                                                             |                           |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |              |                  |      | 25.00 | 10.00 |     |     |     |
|                                                                             |                           |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |              |                  |      |       |       |     |     |     |

उस नाम के भी नहीं मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो तो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
इसमें अत्यंत सीमित पट्टे भी शामिल हैं  
टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम 1969 के नियम 18 (3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आगो उस विरसत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :